न्यायालय ए0एच0गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त
उपनिवेशन, बीकानेर।

अपील सं0 14/2017

विमला कंवर पत्नि गोपसिंह जाति राजपूत निवासी भोलासर
तहसील कोलायत जिला बीकानेर

– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत

– रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 26–09–2017 एवं नामान्तरण संख्या 5 दिनांक 3–10–2017 ग्राम नोखा उर्फ दैया जिसकी रूह से अपीलांट की खातेदारी भूमि आराजी राज की गई को निरस्त करने व अपील मंजूर करने।

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अपीलान्ट।
2. पैरोकार राज राज्य की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 14–03–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा दिनांक 3.10.17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 5 को स्वीकृत किया गया है।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही नोखा उर्फ दैया में खसरा नम्बर 95/3/1 में 25 बीघा गैर खातेदारी भूमि तुलछाराम, दुर्गाराम, हीराराम, पुरखाराम पिसरान गुमानराम के नाम तमाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रही। फिर न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत द्वारा दिनांक 11.2.13 को खातेदारी जारी किये जाकर बतौर राजस्व रिकार्ड मे तुलछाराम वगैरह के नाम से खातेदारी दर्ज हुई।

3 आराजी मुतनाजा तमाम राजस्व रिकार्ड में तुलछाराम वगैरह के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज होने से मौके पर कब्जा काश्त होने से अपीलांटा ने जैर अपील भूमि दिनांक 5.3.2008 को जरिये पंजीबद्व बैयनामा खरीद ली और दस्तावेज बैयनामा का पंजीयन किया गया तथा बैयनामा नामांतरणकरण सं0 1277 दिनांक 20.5.13 से राजस्व रिकार्ड में आराजी मुतनाजा अपीलांटा के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं एवं मौके पर अपीलांटा कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा हैं।

4 दिनांक 26.9.17 को तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत ने बिना अपीलांटा को सुनवाई व सबूत अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांटा की खातेदारी कृषि भूमि आराजीराज करने के आदेश दे दिये तथा आदेश की पालना में इंतकाल सं0 5 दिनांक 3.10.17 ग्राम नोखा उर्फ दैया स्वीकार भी कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5 यह तो सर्वविदित हैं कि किसी प्रकार का कोई आदेश पारित करने से पहले सम्बन्धित पक्षकार को सुनवाई का सबूत का अवसर दिया जाना आवश्यक हैं मैण्डेटरी हैं। फिर भी तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत ने रिकार्डेड खातेदार अपीलांटा को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही भूमि को आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये गये तथा आदेश की पालना मे इंतकाल भी स्वीकृत कर अपीलांटा के आराजी मुतनाजा मे निहित हक अधिकारों, कानूनी हक अधिकारों का हनन किया हैं जिससे जैर अपील इंतकाल कानून एवं विधि विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6 दिनांक 5.10.17 को हल्का पटवारी मौके पर आये व अपीलांटा को आराजी मुतनाजा आराजीराज होने का कथन कर कब्जा छोडने को कहा जिस पर अपीलांटा को आदेश व नामांतरकरण की जानकारी होने पर उसी दिन कोलायत आकर नकल हेतु आवेदन दे दिया। आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय अपना लीगल माईन्ड इस्तेमाल नही किया हैं। जिससे अधीनस्थ न्यायालय कानूनन व विधि विरूद्व निर्णय होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपील पेश कर निवेदन हैं कि आदेश दिनांक 26.9.17 श्रीमान तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत एवं नामंतरणकरण सं0 5 दिनांक 3.10.17 निरस्त कर अपील मंजूर फरमाई जावें।

7 प्रकरण दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया ।

8 बहस उभयपक्ष हमने सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमों को ही बहस के बिन्दु मानें है। वकील अपीलांट द्वारा फार्म नं0 3 दस्तावेजात की सूची प्रस्तुत की हैं। पैरोकारराज ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों का विरोध करते हुए कथन किया कि इंतकाल जैर अपील दर्ज किया गया हैं यह माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 27.9.2009 की पालना में किया गया है, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही कानून सम्मत हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावें।

9 हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभयपक्ष बहस पर मनन किया अपीलान्ट द्वारा भूमि का क्रय कर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर जो कार्यवाही की गई है वह माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 27.8.2009 के पश्चात् खातेदारी प्राप्त की गई ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की खातेदारी व नामान्तरकण संख्या 1277 दिनांक 20–05–2013 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शून्य प्रभावहीन हो जाती हैं। उक्त निर्णय से जब तहसीलदार कोलायत के निर्णय दिनांक 21.5.92 एवं 18.5.92 को निरस्त कर दिया तो उसकी पालना मे की गई कार्यवाही उचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–09–2017 माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 27–09–2009 की क्रियान्विति हेतु पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.9.17 तथा इसकी पालना में दर्ज इंतकाल सं0 5 दिनांक 3.10.17 मे किसी भी प्रकार त्रुटि नही हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नही समझते हैं। अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति वापस हों।

निर्णय आज दिनांक 14.3.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर